Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 144-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018 (BHADRA 7, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th August, 2018

No. 29-HLA of 2018/58/19011.— The Haryana State Commission for Scheduled Castes Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 29- HLA of 2018

THE HARYANA STATE COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES BILL, 2018

A

BILL

to provide for the constitution of the Commission for Scheduled Castes in the State of Haryana and for matter connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana State Commission for Scheduled Castes Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(b) "Commission" means the Haryana State Commission for Scheduled Castes constituted under section 3;

(c) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson, Vice-Chairperson and Member-Secretary;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes specified as Scheduled Castes with respect to the Haryana State under article 341 of the Constitution of India;

(g) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Commission.

Constitution of Commission.

3. (1) The Government, by notification in the Official Gazette, shall constitute a body to be known as the Haryana State Commission for Scheduled Castes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of the following Members to be nominated by the Government, namely:-

(a) Chairperson and Vice-Chairperson, who shall be an eminent person belonging to any of the Scheduled Castes, having wide experience in social life and who has worked, contributed in Government activities or a retired officer of the Government belonging to the Scheduled Castes. The Vice-Chairperson shall be designated from amongst the Members;

(b) a Member-Secretary, who is or has been an officer of the Government, not below the rank of Special Secretary;

(c) not more than four Members, belonging to the Scheduled Castes, from amongst the persons of ability, integrity and standing who has worked and served for the welfare and uplift of the Scheduled Castes and at least one of them shall be a woman.

Term and conditions of appointment of Members.

4. (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and Members shall hold office for a term of three years from the date he assumes office:

Provided that where the Chairperson or Vice-Chairperson or a Member attains the age of sixty-five years before the expiry of the aforesaid term of three years, he shall vacate his office on the day on which he attains the such age.

(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Members may, at any time, by writing and addressed to the Government, resign from the office.

(3) The Government shall remove a Member, if he-

(a) becomes an undischarged insolvent; or

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absents from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of Scheduled Castes or public interest:

Provided that no such person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination and the person so nominated shall hold office for the remainder term of his predecessor.

(5) The salary and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and Members shall be such, as may be prescribed.

Officers and other employees of Commission.

5. (1) The Government shall provide the Commission with such officers and employees, as may be necessary, for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salary and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such, as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants.

6. The salary and allowances payable to the Members and the administrative expenses, including salary, allowances and pensions payable to the officers and other employees shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 11.

7. No act or proceedings of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission. Vacancy not to invalidate proceedings.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place, as the Chairperson may think fit. Procedure to be regulated by Commission.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission, duly authorized by the Member-Secretary in this behalf.

9. (1) The Commission shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:- Functions and powers of Commission.

(i) to investigate and examine the working of various safeguards provided in the Constitution of India or under any other law for the time being in force or under any order of the Government for the welfare and protection of the Scheduled Castes;

(ii) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguard of the Scheduled Castes and to take up such matter with the appropriate authorities;

(iii) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes and to evaluate the progress of their development;

(iv) to make recommendations as to the measures to be taken by the Government for the effective implementation of safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and to make report to the Government annually and at such other time, as the Commission deems fit;

(v) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare, development and advancement of the Scheduled Castes, as may be prescribed.

(2) The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(i) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(ii) requiring the discovery and production of any document;

(iii) receiving evidence on affidavits;

(iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(v) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(vi) any other matter which is or may be prescribed.

10. (1) The Government may, at any time, and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the Scheduled Castes in the State. Periodic revision of Scheduled Castes.

(2) The Government while acting under sub-section (1) shall consult the Commission.

11. (1) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission, by way of grants, such sums of money, as the Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act. Grants by Government.

(2) The Commission may spend such sums, as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts.

12. The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner, as may be prescribed.

Annual report.

13. (1) The Commission shall prepare, in such form and manner and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

(2) The Government shall cause the annual report to be placed on the table of the State Legislature.

Members and employees of Commission to be public servants.

14. The Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Bar of jurisdiction.

15. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter arising out or concerned with the provisions of this Act.

Power to make rules.

16. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of appointment of Members;

(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under section 12;

(c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 13;

(d) any other matter which is required to be, or may be, prescribed;

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

Power to remove difficulties.

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

Protection of action taken in good faith.

18. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any Member, officer or employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Parliamentary Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes visited the State of Haryana on 17.10.2012 while interaction and debriefing session with the Senior Officers and District Administration, the Parliamentary Committee suggested that there is dire need to set-up a Commission for Scheduled Castes on the pattern of similar Commissions like Human Rights and Women Commission.

Keeping in view, advice of the Parliamentary Committee and various representations received from the Scheduled Castes organizations and associations, the State Govt. took decision to constitute a Commission for the overall development and welfare of Scheduled Castes. As per provisions under Article 338 of the Constitution to sort out the issue of socio-economic backwardness of Scheduled Castes and to investigate, examine and working of various safeguards provided in the Constitution of India and for overall welfare of Scheduled Castes the Haryana Government set-up its first ever Scheduled Castes Commission on 10.10.2013 under the Chairmanship of Sh. Phool Chand Mullana. But the State Government vide its notification dated 18.12.2014 dissolved the Commission and a high level committee under the Chairmanship of Hon'ble Minister, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes was constituted.

The Commission in its review meeting held on 09.03.2018 also directed the State Government to constitute a Commission namely, Haryana State Commission for Scheduled Castes to safeguard the interest of Scheduled Castes and also to check and curb the atrocity being committed on Scheduled Castes. The Commission also stressed that merely the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is not enough. There is a strong need to monitor the various provisions of the Act, and also to investigate, examine and working of the safeguards provided in the Constitution of India and to inquire into special complaints with respect to the deprivation of right and also advice on planning process of socio-economic development of Scheduled Castes and to evaluate the achievements, the State Government is of the opinion that a Commission namely, Haryana State Commission for Scheduled Castes Act, be enacted without delay.

By enacting an Act, "Haryana State Commission for Scheduled Castes" Act, large percentage of population of Haryana suffering for social, educational and economic backwardness shall enjoy the benefit of facilities provided to other sections of the society and shall improve their lot and attain better living condition who have not been represented or have been under the representation in the State even in the field of Govt. jobs.

Thus, it is endeavour of the State Govt. to give statutory status to the Haryana State Scheduled Castes Commission for the reason mentioned above and a request be made to the State Assembly to enact the "Haryana State Commission for Scheduled Castes" Act, at the tune of Article 338 of the Constitution of India.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

KRISHAN KUMAR BEDI,
Minister of Welfare of Scheduled Castes and
Backward Classes, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: R. K. NANDAL,
The 29th August, 2018. Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Haryana State Commission for Scheduled Castes Act, 2018 proposed Enactment will entail an expenditure approximately Rs. 5,00,00000/- (Rupee Five Crore Only) per year from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 16 of the Bill empowers the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Bill. Since the rules will relate to matters of detail only, the delegation of the legislative power is of a normal character.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 29-एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग विधेयक, 2018

हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के गठन
के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या
उनसे आनुषंगिक मामलों
के लिए उपबन्ध
करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य तथा इसमें शामिल हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव;

(ड) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित;

(च) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्राय है, भारत के सविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन हरियाणा राज्य के सम्बंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट ऐसी जातियां, वंश या जनजातियां या ऐसी जातियों, वंशों या जनजातियों में उनके अंश या समूह;

(छ) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्राय है, आयोग का उपाध्यक्ष।

आयोग का गठन।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के रूप में ज्ञात निकाय का गठन इस अधिनियम के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और समनुदेशित कृत्यों को करने के लिए करेगी ।

(2) आयोग सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो सामाजिक जीवन में व्यापक अनुभव रखने वाला किन्हीं अनुसूचित जातियों से सम्बंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और जिसने सरकारी गतिविधियों में काम किया हो, सहयोग दिया हो या अनुसूचित जातियों से सम्बंधित सरकार का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी हो। उपाध्यक्ष सदस्यों में से पदाभिहित किया जाएगा;

(ख) सदस्य–सचिव, जो सरकार का अधिकारी है या रहा है, जो विशेष सचिव पदवी से नीचे का न हो;

(ग) योग्यता, न्यायनिष्ठा और प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जिन्होंने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उत्थान के लिए कार्य किया है तथा सेवा की है, में से अनुसूचित जातियों से सम्बंधित चार से अनधिक सदस्य और उनमें से कम से कम एक महिला होगी।

सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें।

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगेः

परंतु जहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य तीन वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता है, तो वह दिन, जिसको वह ऐसी आयु का हो जाता है, से अपना पद रिक्त करेगा;

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, किसी भी समय, लिखित में तथा सरकार को सम्बोधित करते हुए पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(3) सरकार किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ख) ऐसे अपराध, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला हो, के लिए सिद्धदोष तथा कारावास से दण्डित हो जाता है; या

(ग) विकृत चित्त हो जाता है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है; या

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) सरकार की राय में, उसने सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जातियों के हितों या लोक हित के लिए हानिकर है :

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उप–धारा (2) के अधीन या अन्यथा से हुई कोई रिक्ति नये नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते, तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

5. (1) सरकार, आयोग को आयोग के कृत्यों के दक्ष अनुपालन के लिए, ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी, जो आवश्यक हों, उपलब्ध करवायेगी ।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अनुदानों में से भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते।

6. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक खर्चों का भुगतान धारा 11 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जाएगा।

रिक्ति के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

7. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल आयोग में किसी रिक्ति के होने या के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी ।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया।

8. (1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष ठीक समझे ।

(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा विनिश्चय सदस्य–सचिव या सदस्य–सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे ।

आयोग के कृत्य तथा शक्तियां।

9. (1) आयोग निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(i) अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा संरक्षण के लिए भारत के सविधान में या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित विभिन्न सुरक्षा के कार्यों का अन्वेषण और जांच करना;

(ii) अनुसूचित जातियों को अधिकारों से वंचित करने तथा सुरक्षा के सम्बंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना तथा ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकरणों के पास उठाना;

(iii) अनुसूचित जातियों के समाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में शामिल होना तथा सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(iv) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण तथा समाजिक–आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा तथा अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वन के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना और सरकार को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य समय पर, जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट करना;

(v) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा प्रगति के सम्बंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) आयोग को उप–धारा (1) के अधीन अपने कृत्यों को करते समय किसी वाद का और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के सम्बंध में, विचारण करने के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(i) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना तथा हाजिर करवाना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ii) किसी दस्तावेज को प्रकट तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(iv) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(v) साक्षियों तथा दस्तवेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; तथा

(vi) कोई अन्य मामला, जो विहित किया गया है या किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना।

10. (1) सरकार, किसी भी समय, और इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके बाद दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि पर, राज्य में अनुसूचित जातियों का पुनरीक्षण कर सकती है तथा करेगी ।

(2) सरकार उप–धारा (1) के अधीन कार्य करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

सरकार द्वारा अनुदान।

11. (1) सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानमण्डल द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के बाद, आयोग को, अनुदानों के माध्यम से ऐसी धनराशियों का भुगतान करेगी, जो सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे ।

(2) आयोग ऐसी धन–राशियां खर्च कर सकता है, जो यह इस अधिनियम के अधीन कृत्य करने के लिए उचित समझे, तथा ऐसी धन–राशियां उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतानयोग्य खर्च के रूप में समझी जाएंगी ।

लेखे।

12. आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखों के वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में तैयार करेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट।

13. (1) आयोग पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों के सम्पूर्ण लेखे देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को भेजेगा ।

(2) सरकार राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट रखवाएगी ।

आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

14. आयोग के सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

अधिकारिता का वर्जन ।

15. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के उपबंधों से होने वाले या सम्बन्धित किसी मामले के सम्बंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

16. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते है, अर्थात्:–

(क) सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते, तथा की नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) प्ररूप जिसमें धारा 12 के अधीन लेखों के वार्षिक विवरण तैयार किए जाएंगे;

(ग) प्ररूप, जिसमें और समय जिस पर, धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीध्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

18. आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या किये जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसदीय समिति ने 17.10.2012 को हरियाणा राज्य का दौरा किया था, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के साथ बातचीत और डीब्रिफिकेशन सत्र, संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि मानव अधिकार आयोग तथा महिला आयोग के समान प्रतिरूप अनुसूचित जाति आयोग के गठन की सख्त आवश्यकता है।

ध्यान में रखते हुए, संसदीय समिति की सलाह तथा अनुसूचित जाति संगठनों और संघों से प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के समग्र विकास और कल्याण के लिए अनुसूचित जाति आयोग के गठन करने का निर्णय लिया गया। अनुसूचित जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक विषयों का समाधान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन उपबंध के अनुसार, तथा भारत के संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों की जांच करना और काम करना तथा अनुसूचित जातियों के समग्र कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने श्री फूल चंद मुलाना की अध्यक्षता में 10.10.2013 को अपना पहला अनुसूचित जाति आयोग स्थापित किया था लेकिन राज्य सरकार ने 18.12.2014 को अपनी अधिसूचना के अनुसार आयोग को भंग कर दिया और माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये आयोग का गठन किया गया ।

आयोग ने अपनी समीक्षा बैठक में 09.03.2018 को अनुसूचित जातियों की हितों की रक्षा के लिये हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाए और अनुसूचित जातियों पर किये गये अत्याचार को रोकने के लिये भी निर्देश दिये। आयोग ने यह भी जोर दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर्याप्त नहीं है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर निगरानी रखने और भारत के संविधान में दिये गये विभिन्न सुरक्षा उपायों की जांच तथा कार्य करने और अधिकार के अभाव के सम्बंध में विशेष शिकायतों की जाँच करने और नियोजन प्रक्रिया के बारे में सलाह देने की भी प्रबल आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के समाजिक–आर्थिक विकास और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये राज्य सरकार का मानना है कि हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिना विलम्ब अधिनियमित किया जाए ।

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियमित करने के बाद राज्य की सामाजिक, शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन से पीडित लोगों को बड़ी संख्या में समाज के अन्य वर्गों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा और वे अधिक सुधार कर सकेगें और स्थिति बेहतर होगी जो राज्य में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं या प्रतिनिधित्व के अधीन हैं ।

इस प्रकार, यह राज्य सरकार का प्रयास है उपर वर्णित कारण के लिये हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वैधानिक दर्जा देने के लिये और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ''हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग'' अधिनियम को लागू करने के लिये राज्य विधानसभा को एक अनुरोध किया जाएगा।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विधेयक लाया जाता है ।

इसलिये विधेयक ।

कृष्ण कुमार बेदी,
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग
कल्याण मंत्री, हरियाणा।

....

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश है।

....

चण्डीगढ़: आर० के० नांदल,
दिनांक 29 अगस्त, 2018. सचिव।

वित्तिय ज्ञापन

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग विधेयक, 2018 के प्रस्तावित अधिनियम से राजकोष पर लगभग रू0 5,00,00000/– (पाँच करोड़ रूपये केवल) प्रति वर्ष खर्चा आएगा।

प्रतिनिधि कानून के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 16 राज्य सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। क्योंकि नियम केवल विस्तार के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रतिनिधिमंडल सामान्य चरित्र का है।

56506—H.V.S.—H.G.P.,Chd.